IV 04/2013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 503256

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 JAN 2013
गाजीपुर

12.2.13

श्री राजाराम शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट

ग्राम इचवल, पोस्ट रामपुर, जिला गाजीपुर

न्यास विलेख (INSTRUSMENT OF TRUST)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 12.2.13 को गाजीपुर (सदर) में **अनिल कुमार सिंह यादव**, ग्राम–इचवल, पोस्ट–रामपुर, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा किया गया जिन्हें आगे **न्यासकर्ता / संस्थापक** कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक के पास **रू0 5,000/–(पॉच हजार रूपया मात्र)** की धनराशि है जिसे वह लोक कल्याण एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि से अप्रति संहरणीय न्यास (Irrevocable Trust) बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और क्योंकि यह ट्रस्ट **"श्री राजाराम शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट" ग्राम इचवल, पोस्ट रामपुर, जिला गाजीपुर** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5,000/– पॉच हजार रूपया मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत / प्रशासनिक कार्यालय **ग्राम इचवल, पोस्ट रामपुर, जिला गाजीपुर** उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की समहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

Anil Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 503257

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 JAN 2013
गाजीपुर

श्री राजाराम शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट–1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

–: उद्देश्य एवं नियमावली :–

ट्रस्ट के उद्देश्य :– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये केन्द्र सरकार व राज्य द्वारा सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों , पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध–आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधि कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, समाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।
10. आई0आई0टी0,सी0टी0आई0,आई0टी0आई0, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्तिनशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

Anil kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 503258

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 JAN 2013
गाजीपुर

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएँ एड्स प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कोलेजों या अन्य संस्थाओं को उस व्यक्ति विशेष या सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा सहमत होने पर अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको अपने ट्रस्ट में समायोजित करना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
25. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना।
26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

Anil Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 503259

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 JAN 2013
गाजीपुर

27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।
28. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
32. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
33. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
34. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।
35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तार में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
37. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
40. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
41. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।
42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
43. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया–कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।

Anil Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 025014

प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **अनिल कुमार सिंह यादव** जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव, सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव **अनिल कुमार सिंह यादव** द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाये तो **अनिल कुमार सिंह यादव** की मृत्यु के पश्चात् उनकी **पत्नी श्रीमती शशिकला यादव** तब तक इस ट्रस्ट की ट्रस्टी रहेंगी, जब तक कि **मेरा उत्तराधिकारी बालिग** न हो जाये।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. **किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पदमुक्त करने की शर्तें निम्न हैं–** मृत्यु, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षो से ज्यादा सजा दिये जाने या पागल होने पर, दिवालिया होने पर, त्याग–पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव को प्रदत्त किया गया है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तादाधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरीधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी

Anil kumar singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 025015

स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :–

क्र. सं.	नाम	पता	पद	पेशा
1.	अनिल कुमार सिंह यादव	इचवल, रामपुर, गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव	समाज सेवा
2.	हरिनाथ यादव	सा 6/186, पी.27., श्रीनगर कालोनी, पहड़िया, वाराणसी	अध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
3.	महेन्द्र सिंह यादव	इचवल, रामपुर, गाजीपुर	उपाध्यक्ष ट्रस्टी	समाज सेवा
4.	सुरेन्द्र यादव	इचवल, रामपुर, गाजीपुर	उप सचिव ट्रस्टी	समाज सेवा
5.	जयशंकर यादव	गरथौली, चौबेपुर, वाराणसी	सदस्य ट्रस्टी	समाज सेवा
6.	दलसिंगार	मजुई, सादात, गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	समाज सेवा

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

Anil Kumar Singh